न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :— 115 / 2024
जी.सी.एम.एस.संख्या :— 2024 / 189

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1.दाखूदेवी पत्नी शिवनारायण 2.खेताराम पुत्र लिखमाराम जाति—खारवाल निवासी—खारवालों का बास, मण्डापुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी.</u>

<u>उपस्थिति :—</u>

1.श्री हनुमानराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक— 07.05.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया था कि मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 17 व 122 कुल रकबा 04—02 बीधा भूमि प्रार्थीगण/वादीगण की खातेदारी अधिकारों की धोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा बाबत वाद न्यायालय हाजा में पेश किया गया था। जो प्रकरण प्रतिवादी की तलबी में विचाराधीन चला रहा था,निर्धारित तारीख पेशी पर अधिवक्ता मय वादीगण में से न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर हस्तगत वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक हकूको निहित होने के कारण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश [illegible] 06.12.2022 को अपास्त करवा कर वाद पुनः बरामद करवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय [illegible] सहित पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.05.21 19:13:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण/वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वादीगण की ओर से मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 17 व 122 कुल रकबा 04-02 बीघा भूमि पर वक्त जागीर रिज्यूम होने से आदिनांक कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन सेन्टलमैंट अधिकारीयों की भूल से विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी में इन्द्राज नहीं हो पाई। इस कारण वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद न्यायालय हाजा में पेश किया गया था। मूलवाद प्रकरण प्रतिवादी की तलबी में विचाराधीन चला रहा था,नियत पेशी तारीख को पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता श्री अजीतसिंह सोलंकी के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में आदेश दिनांक 06.12.2022 के द्वारा खारिज किया गया। जबकि वादीगण के वादग्रस्त भूमि में हक हकूक निहित है और वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है,तो वादीगण के साथ अन्याय होगा,जिसकी भविष्य में पूर्ति नहीं की जा सकती है। वादीगण को वाद खारिज होने का पूर्व अधिवक्ता द्वारा नही बताया गया। इस कारण वकील की गलती का दोष वादीगण वहन नहीं कर सकते है। वादीगण का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज किया गया था। वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। अतः न्यायहित में वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश दिनांक 06.12.2022 को अपास्त किया जाकर मूलवाद को पुनः बरामद किए जाने के आदेश फरमावें।

4. हमनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद संख्या 37/2021 अनवान दाखूदेवी बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा तलबी में विचाराधीन चल रहा था और निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 06.12.2022 को वकील वादीगण के उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया,जो वादपत्र की प्रमाणित आदेशिका अवलोकन से स्पष्ट है। चूंकि मूलवाद वकील वादीगण के अनुपस्थित होने के कारण खारिज हुआ था। वाद प्रारम्भिक स्टेज तलबी पर विचाराधीन चल रहा था। न्यायालय का अभिमत है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए,न कि तकनीकी आधार पर। पक्षकार को अपना पक्ष रखनें के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए,ताकि वे अपने हक हकूको के लिए पैरवी कर सके। हस्तगत प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज तलबी पर खारिज हुआ है और वादी पक्ष को अपना पक्ष रखनें के लिए सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है,अगर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए जाते है,तो [illegible] नहीं होगा। वादीगण को मूलवाद में अपने हक हकूको को साबित करने के लिए एक [illegible] का अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। ताकि पक्ष[illegible] रहे। जहां तक प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किए जा[illegible] बिन्दु है,यह न्यायालय हाजा प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों को मदद्वेनजर रखतें हुए अन्दर म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:13:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.)

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सफल रहें है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन अन्दर म्याद स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण अन्दर म्याद स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 37/2021 अनवान दाखूदेवी बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा में पारित आदेश दिनांक 06.12.2022 को अपास्त किया जाकर मूलवाद को पुनःबरामद किया जाता है।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07·5·2024 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:13:58 IST
Reason: SelfAttested